सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 40/17 **निर्णय दिनांक**

1. नेतराम पुत्रगण मूलाराम जाति जाट निवासी चक 10
2. हेतराम एम.पी. गोपालसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. हंसराज हाल चक 3 एमजेडी, मौखमपुरा तहसील लूणकरनसर

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।
2. मूलाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी हाल चक 3 एमजेडी मौखमपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

दिनांक 22—12—2017

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्

2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 24–07–2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता के नाम ग्राम मौखपुरा की रोही खसरा नम्बर 549/479 में तादादी 12.69 हेक्टर भूमि बतौर एम.एफ.एफ.आर. आवंटित हुई थी। रेस्पोडेन्ट ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये। पूर्व पत्नी से अपीलांट्गण सहित चार पुत्र पैदा हुई तथा अपीलांट्गणों की माता के देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से दो लड़के क्रमशः नरेश व महेन्द्र व एक पुत्री विद्या पैदा हुई । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ग्राम मौखमपुरा स्थिति भूमि में से आधा हिस्सा अर्थात 25 बीघा भूमि अपीलांटगणों तथा आधा हिस्सा अर्थात 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट ने अपने पास रख ली। अपीलांट्गण उक्त भूमि से अपना जीवन यापन कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर अपीलांट्गणों को उनकी कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। जबकि यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन भूमि का बंटवारा कर अपीलांटगणों को उक्त भूमि में से आधा हिस्सा जीवन यापन हेतु दे दी गई थी। अपीलांट्गण विगत् 15 वर्षो से उक्त भूमि पर काश्त करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे है। अपीलांट्गणों के अपने हिस्स में आई भूमि को बहुत कड़ी मेहनत कर तथा श्रम व धन खर्च

कर कृषि योग्य बनाया है। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उन्होंने आगे बहस में बताया कि अपीलांट्गण भूमि के ट्रेसपासर न होकर पारिवारिक बंटवारें में उक्त भूमि उनके हिस्से में आई है। तथा पारिवारिक बंटवारें में आई भूमि पर परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से अपीलांट्गणों को बेदखल किया गया तो उन्हें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व अदालत मातहत को आदेशित किया जावे कि वे वादगत् भूमि वाके मौजा रोही मौखपुरा के खसरा नम्बर 549/479 की 12.65 हेक्टर भूमि में से आधी भूमि जो अपीलांट्गणों के कब्जे काश्त में है से अपीलांट्गणों को बेदखल ना करें, कब्जा काश्त करन से ना राके एवं ऐसा कोई तर्क या फैल ना करें जिससे अपीलांट्गणों के अधिकारों पर कुठाराधात हो।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी मौजा रोही मोखमपुरा के खेत खसरा नम्बर 539/479 में 12.65 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एकमात्र मालिक व काबिज खातेदार काश्तकार है। वादगत् भूमि से अपीलांट्गणों का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना तो वे काश्तकार है ना ही वे खातेदार अथवा गैर खातेदार है। अपीलांट्गण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र है जो उसे अनावश्यक तंग व परेशान करते है तथा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त नहीं करने देते। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि पर ऋण भी ले रखा है। यदि वादगत् भूमि पर अपीलांट्गणों द्वारा कब्जा कर लिया गया तो वह ऋण भी जमा नहीं करवा पायेगा। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट की स्व–अर्जित भूमि होने से रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि खातेदार टीनेन्ट है। कानून के प्रतिपादित

सिद्वान्तों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट्स को पूर्व में दादा की भूमि में से जो कि सूरतगढ़ में स्थित है नियमानुसार हिस्सा दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि जो रेस्पोडेन्ट की विरासतन आराजी न होकर स्व–अर्जित भूमि है पर अपीलांट्स का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट की पूर्व पत्नी की संतानें है जिन्हें पूर्व में पारिवारिक बंटवारें के तहत भूमि दी जा चुकी है। अब वादगत् भूमि से अपीलांट्स का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से सारी कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 492, आरबीजे 2003 पेज 497, आरआरटी 2001 पार्ट ाा पेज 1244, आरआरडी 2011 पेज 480 व आरआरटी 2016 पार्ट ा पेज 364 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

(1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम मौखमपुरा के खसरा नम्बर 549/479 तादादी 12.65 हेक्टर भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04–05–2017 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है।

(2) –हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हमारा अभिमत है कि यह मामला विशिष्ठ प्रकार है। सामान्य दशा में नियम यह है कि पिता

अपनी स्वअर्जित सम्पति को स्वेच्छया व्ययन कर सकता है तथा पुत्र पिता के जीवनकाल में सम्पति स बंटवारें की मांग नहीं कर सकता। साथ ही विधि पिता के इस अधिकार की रक्षा करती है एवं पुत्र पिता के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञ की मांग नहीं कर सकता व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

–किन्तु जहॉ पिता स्वयं द्वारा अपने कृत्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता ह कि उसके एक विवाह के उपरान्त दूसरा विवाह करता है जोकि काननी एवं सामाजिक रूप से अवैद्य व अनैतिक है–और उस विवाह से उत्पन्न पूर्व पत्नि के बच्चों को दूसरे विवाह से उत्पन्न बच्चों के बीच विवाद को स्वयं जन्म दिया हो तो विधि ऐसे पिता की सम्पति के अधिकार व उसके व्ययन के प्रति लोकनिति की रक्षार्थ भिन्न रूप रखती है

–यह भी कि यदि पिता ने पुर्नविवाह भी किया है तो उसे पूर्व पत्नी से उत्पन्न बच्चों के भरण–पोषण या सम्पति के भावी अधिकार की रक्षार्थ उचित बन्दोबस्त करना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी पत्नी से उत्पन्न बच्चों के बीच विवाद ना हो।

(3) प्रस्तुत मामलें मेंः–

–पिता ने एक पत्नी के रहते व उसके बच्चों के हक की रक्षा ना करते हुए दूसरा विवाह किया है।

–तथा पूर्व पत्नी से उत्पन्न बच्चों व दूसरी पत्नी से उत्पन्न बच्चों व पिता के बीच विवाद है

–पिता ने स्वयं पूर्व पत्नी के बच्चों को अपनी भूमि में से कुछ हिस्सा कब्जा व उपयोग हेतु दिया जिसे उन्होंने विकसित किया तथा कालान्तर में दूसरी पत्नी से उत्पन्न बच्चों ने इस भूमि हेतु विवाद किया।

–फलस्वरूप विवाद पिता/पुत्र व प्रथम पत्नी से उत्पन्न बच्चों के बीच है। ऐसी दशा में कानून की भिन्न दृष्टि होनी चाहिए एवं विवाद की प्रकृति के अनुसार न्यायपूर्ण व्याख्या की जानी अपरिहार्य है। विवाद की स्थिति स्वयं पिता ने अपने द्वितीय विवाह के करने से उत्पन्न की है ऐसे में विधि का संरक्षण प्राप्त करने की दिशा में स्वयं बाधा उत्पन्न की है।

(4) प्रस्तुत मामलें में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस मामलें में चस्पा नहीं होती है क्योंकिः–

1. अप्रार्थी के पिता ने दो विवाह किये जो कि एक सामाजिक बुराइ के रूप में ही नहीं अपितु दोनों पत्नियों से उत्पन्न बच्चों के बीच सम्पति संबंधी विवाद का अनिवार्य रूप से जन्म देती है, तथा पिता की गलती दोनों पत्नियों में से प्रायः पूर्व पत्नी से उत्पन्न बच्चों की सम्पति से वंचित करने संबंधी विवाद के रूप में सामने आती है।

2. यदि पिता एक ही विवाह करता है तो सामान्यतः अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों के आलोक में निर्णय इस रूप में होता कि रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधारण नहीं दी जाती है।

3. क्योंकि मामला पिता द्वारा दो विवाह करने एवं विवाद प्रथम पत्नि से उत्पन्न बच्चों व दूसरी पत्नी से उत्पन्न बच्चों के बीच सम्पति विवाद का है ना कि पिता व पुत्रों के बीच। यदि ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट को

अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जावेगी तो उन्हें अपूरणीय क्षति की संभावना स्वाभाविक है।

4. सम्पति दो विवाद करने वाले पिता की है ऐसी स्थिति में दोनों पत्नियों से उत्पन्न बच्चों व पिता के बीच में विवाद की दशा में पूर्व पत्नि से उत्पन्न बच्चों के हक की रक्षा करना कानून का उत्तरदायित्व है और उनका प्रथम दृष्टया मामला प्रकट है।

5. अपीलार्थीगण के पिता की अन्य सम्पति दिगर तहसील सूरतगढ़ में भी अवस्थित है जो कि अपीलार्थीगण के दादा से प्राप्त है और उसमें उनके हिस्से की सीमा तक के कब्जे की भूमि का अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान में उनके नाम है। उक्त तथ्य को अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस स्वीकार किया है।

6. अपीलार्थीगण को पूर्व में पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त भूमि जो कि उनके पिता को एम.एफ.एफ.आर विस्थापितों के तहत भूमिहीन श्रेणी में आवंटन है। भूमिहीन श्रेणी स्वतः अर्जित श्रेणी नहीं है अपितु भूमि पैतृक रूप से ना होने के कारण प्राप्त है और उनके पिता के दूसरी विवाह करने के कारण उनके हितों की रक्षार्थ अतीत में प्रदान की गई थी जिस पर उन्होंने विकास कर काश्त योग्य बनाया व वर्तमान में काबिज है।

7. चूंकि पिता वृद्व है और विवाद मूलतः पिता/पुत्र व पूर्व पत्नी से उत्पन्न बच्चों के बीच है ऐसी दशा में अपीलार्थीगणों के हितों की रक्षा लौकिक व सामाजिक दृष्टि से व भविष्य में विवादों को रोकने की दृष्टि से उचित है।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र

यह अंकित किया है कि चूंकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है

जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। जबकि उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण साधारण प्रकृति का न होकर विशेष भिन्न प्रकृति का होना परिलक्षित है जिसमें पूर्व पत्नी से उत्पन्न संतानों के हितों की रक्षार्थ कानून का उत्तरदायित्व बनता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 24–07–2017 को वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम मौखमपुरा के खेत खसरा नम्बर 549/479 तादादी 12.65 हेक्टर भूमि में से आधे भू–भाग जिस पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है, की हद तक निरस्त किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादगत् भूमि से अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल ना करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर